अनुदान संख्या 72 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
GRANT No. 72–MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	13475,33,00	25318,33,00	25314,34,58	–3,98,42
पूरक	Supplementary	11843,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,97,20
पूंजीगत:	**Capital:**				
पूरक	Supplementary	958,08,00	958,08,00	958,07,79	–21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2802" पेट्रोलियम	Major Head "2802" Petroleum				
मू.	O.	1345698.00	2529657.18	2529657.16	–0.02
पू.	S.	1184300.00			
पु.	R.	–340.82			

(I) "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Under "General" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''तेल विपणन कंपनियों को आर्थिक सहायता'' -

(क) ''घरेलू एलपीजी और पीडीएस कैरोसीन पर आर्थिक सहायता'' - 7001.01 लाख रु. की बचत (284000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए खुदरा उत्पादों पर भाड़ा सहायता'' - 405.37 लाख रु. की बचत (2600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मार्च, 2010 का लेखापरीक्षित बिल प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की पूर्ति के लिए तेल कंपनियों को आर्थिक सहायता'' - 8376.13 लाख रु. की बचत (24300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैस मूल्य में प्रस्तावित वृद्धि लागू न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई ।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड'' - 138.14 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोर्ड द्वारा अर्जित ब्याज का समायोजन किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''पेट्रोलियम प्रयोगशाला समिति'' - 120.19 लाख रु. की बचत (165.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वचालित आसवन उपस्कर की अधिप्राप्ति संबंधी तकनीकी बोलियों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (15700.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि ''सामान्य - तेल विपणन कम्पनियों को उनके घरेलू एलपीजी और पीडीएस केरोसीन प्रचालनों में कम वसूलियों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में अदायगी - तेल विपणन कम्पनियों

(A) "Subsidy to Oil Marketing Companies" –

(a) "Subsidy on domestic LPG and PDS Kerosene" – saving of Rs.7001.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.284000.00 lakhs) was due to economy measures.

(b) "Freight subsidy on retail products for far flung areas" – saving of Rs.405.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2600.00 lakhs) was due to non- receipt of audited bill for March, 2010 and economy measures.

(c) "Subsidy to Oil Companies for supply of Natural Gas to North Eastern Region" – saving of Rs.8376.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.24300.00 lakhs) was due to non-implementation of proposed increase in gas price and economy measures.

(B) "Other Expenditure" –

(a) "Petroleum Regulatory Board" – saving of Rs.138.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to adjustment of interest earned by the Board and economy measures.

(b) "Society for Petroleum Laboratory" – saving of Rs.120.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.165.00 lakhs) was due to delay in finalisation of technical bids for procurement of automated distillation equipment and economy measures.

2. The above savings were partly (Rs.15700.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1184300.00 lakhs in March, 2010 under "General – Payment to Oil marketing companies

को भारत सरकार विशेष बांड'' के अंतर्गत मार्च, 2010 में 1184300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

as compensation for under recoveries in their domestic LPG and Kerosene (PDS) operations - Govt. of India Special Bonds to Oil Marketing Companies."